



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 353]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 21, 2010/ज्येष्ठ 31, 1932

No. 353]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 21, 2010/JYAISTHA 31, 1932

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जून, 2010

सा.का.नि. 526(अ).—मणिपुर और मिजोरम राज्यों ने केन्द्रीय सरकार को, करार के ज्ञापन के माध्यम से, मणिपुर और मिजोरम राज्यों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग का गठन करने के और संयुक्त आयोग के संबंध में विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियम विरचित करने के लिए प्राधिकृत किया है;

और केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचना संख्यांक का.आ. 62(अ), तारीख 18 जनवरी, 2005 द्वारा मणिपुर और मिजोरम के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग का गठन किया है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 105 और धारा 180 की उप-धारा (2) के खंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मणिपुर और मिजोरम के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना) नियम, 2010 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ.—1. इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) 'अधिनियम' से विद्युत अधिनियम, 2003 अभिप्रेत है;

(ख) 'संयुक्त आयोग' से अधिनियम की धारा 83 के अधीन गठित मणिपुर और मिजोरम के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग अभिप्रेत है;

(ग) 'भाग लेने वाले राज्य' से मणिपुर राज्य या मिजोरम राज्य अभिप्रेत है;

(घ) 'अनुसूची' से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है।

2. उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और इसमें परिभाषित नहीं हैं, किन्तु विद्युत अधिनियम, 2003 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके हैं।

3. वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना.—(1) संयुक्त आयोग प्रत्येक वर्ष अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रूल्प में एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें 1 अप्रैल से आरंभ होने वाले पूर्व वर्ष से आगामी वर्ष के 31 मार्च तक के उसके क्रियाकलापों का सार अंतर्विष्ट होगा।

(2) वार्षिक रिपोर्ट में पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान के क्रियाकलापों का विवरण दिया जाएगा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित अंतर्विष्ट होगा,—

(क) संयुक्त आयोग के ध्येय और उद्देश्यों का विवरण;

(ख) विशिष्ट: वर्ष के दौरान संयुक्त आयोग के समक्ष फाइल किए गए मामलों की संख्या, निपटाए गए मामलों की संख्या, मामले के निपटान में लगे समय और लंबित मामलों की संख्या की रिपोर्ट सम्मिलित करते हुए और खंड (क) की पृष्ठभूमि में विभिन्न क्रियाकलापों के लिए निश्चित वार्षिक लक्ष्यों के साथ उन लक्ष्यों के संबंध में वास्तविक कार्यपालन का संक्षिप्त पुर्तिविलोकन;

(ग) संयुक्त आयोग के विनियमों में महत्वपूर्ण परिवर्तन/परिवर्तन;

(घ) राज्य सलाहकार समिति का कार्यकरण और पण्धारियों के साथ अन्य परामर्श;

(ङ) महत्वपूर्ण मानदंडों जैसे पूंजी लागत, विद्युत की लागत, नए विनिधान, दक्षता लाभों के रुझान;

(च) उन मामलों की संख्या और ब्यौरे जिनमें आयोग के आदेशों/विनियमों को न्यायालयों/अपील अधिकरण में

चुनौती दी गई है और ऐसे मामलों का निष्कर्ष; और

(छ) विवादों का समाधान जिसके अंतर्गत वर्ष के अंत में लंबित विवाद भी हैं।

4. वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना.—संयुक्त आयोग द्वारा वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां प्रत्येक वर्ष अक्तूबर मास के अंत तक केन्द्रीय सरकार और भाग लेने वाले राज्यों को अग्रेशित की जाएंगी।

अनुसूची

(नियम 3 देखें)

संयुक्त आयोग की वार्षिक रिपोर्ट का प्रस्तुप

1. संक्षिप्त में आयोग का नाम।
2. आयोग का आदेश।
3. मिशन विवरण।
4. गत वर्ष।
5. प्राप्तियां और व्ययों को दर्शित करने वाले आयोग के वार्षिक लेखे।
6. उपभोक्ताओं के फायदे और सेक्टर के विकास के निर्वाचनों के अनुसार विनियामक प्रक्रिया का परिणाम।
7. आगामी वर्ष की कार्ययोजना।

[फा. सं. 47/5/2010-आर एंड आर]

प्रणय कुमार, निदेशक

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st June, 2010

G.S.R. 526(E).—Whereas the States of Manipur and Mizoram have authorized the Central Government, through a memorandum of Agreement, to constitute a Joint Electricity Regulatory Commission for States of Manipur and Mizoram and to frame rules to carry out the provisions of the Electricity Act, 2003 relating to the Joint Commission;

And whereas the Central Government *vide* Notification No. S.O. 62(E), dated 18th January, 2005 has constituted the Joint Electricity Regulatory Commission for Manipur and Mizoram;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by Section 105 and clause (i) of sub-section (2) of Section 180 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Joint Electricity Regulatory Commission for Manipur and Mizoram (Preparation of Annual Report) Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

- (a) 'Act' means the Electricity Act, 2003;
- (b) 'Joint Commission' means the Joint Electricity Regulatory Commission for Manipur and Mizoram, constituted under Section 83 of the Act;
- (c) 'Participating State' means the State of Manipur or the State of Mizoram;
- (d) 'Schedule' means the Schedule annexed to these rules.

(2) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Electricity Act, 2003, shall have the meanings respectively assigned to them in that Act.

3. **Preparation of Annual Report.**—(1) Every year the Joint Commission shall prepare an Annual Report containing a summary of its activities during the previous year commencing from the 1st day of April to the 31st day of March of the following year in the form specified in the Schedule.

(2) The Annual Report shall give an account of the activities during the previous financial year, containing, *inter-alia*,—

- (a) a statement of goals and objectives of the Joint Commission;
- (b) annual targets set for various activities in the background of clause (a) together with a brief review of actual performance with reference to those targets and including in particular a report on the number of cases filed before the Joint Commission during the year, number of cases disposed of, time taken to dispose of the cases and number of cases pending;
- (c) important additions/changes in the regulations of the Joint Commission;
- (d) functioning of the State Advisory Committee and other consultation with the stakeholders;
- (e) trends of important parameters such as capital cost, cost of electricity, new investment, efficiency gains;
- (f) number and details of cases in which orders/regulations of the Commission were challenged in Courts/Appellate Tribunal and the outcome of such cases; and
- (g) resolution of disputes including the disputes pending at the end of the year.

4. **Submission of Annual Report.**—The copies of the annual report shall be forwarded by the Joint Commission to the Central Government and the Participating State Governments by the end of October each year.

SCHEDULE

(See rule 3)

FORM OF ANNUAL REPORT OF THE JOINT COMMISSION

1. The Commission in brief.
2. The mandate of the Commission.
3. Mission statement.
4. The year in retrospect.
5. Annual accounts of the Commission showing receipts and expenditure.
6. Outcome of Regulatory Process in terms of benefits to consumers and development of sector.
7. Work plan for the year ahead.

[F. No. 47/5/2010-R & R]

PRANAY KUMAR, Director